10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांकः /2014 निगरानी R-2841-I/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री अमित व्यास
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 21/7/14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

प्रेमनारायण पिता भवानीशंकर आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम पलवा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन .... आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमति दुर्गाबाई पति बिहारीलाल व्यास
2– मांगीलाल पिता बिहारीलाल व्यास
दोनों निवासी ग्राम पलवा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 31/5/14 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 73/निगरानी/2011–12 प्रेमनारायण विरूद्ध दुर्गाबाई।

....

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक ने विद्वान विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार महिदपुर के प्रकरण क्र. 1अ–70/08–09 के समक्ष अनावेदकगण द्वारा ग्राम पलवा तहसील महिदपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 381 पेकी 0.19 आरे के संबंध में धारा 250 भू.रा.सं. के प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने हेतु धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व्यवहार वाद के विचाराधीन होने के कारण प्रस्तुत किया था। जो कि निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की,जो प्रकरण क्रमांक 73/निगरानी/2011–12 पर दर्ज हुई। उक्त निगरानी में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये जाकर दिनांक 31/5/2014 को पारित आदेश के माध्यम से आवेदक की निगरानी निरस्त कर दी,जिसके विरूद्ध यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2841–एक / 14 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31.5.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित है, परंतु स्थगन प्रदत्त नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	